न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 95/2019

श्री जी स्टोन क्रेशर साझीदार श्रीमती सीमासिंह पत्नी अनिल सिंह जाति जाट निवासी गांधी नगर कालौनी भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम श्रीजी स्टोन क्रेशर मि0न0 03/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री सुगडसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.12.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर 588/123 रकवा 6 वीघा 5 विस्वा ग्राम घाटरी में से 4.15 वीघा पर पक्का माल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

डालकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि का उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की गई है और न ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया है। महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काविले मन्सूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि विवादित आराजी के खातेदारान ने अपनी खातेदारी की विवादित आराजी में से 1060 वर्ग फुट भूमि खातेदार सीमासिंह द्वारा पुनः 29620.8/56628 वर्ग फुट को सीमासिंह ने, 4292/56628 भूमि को सतीशचन्द पुत्र अभिलालसिंह द्वारा भूमि रूपान्तरण कराकर कृषि भूमि से अकृषि भूमि स्टोन क्रेशर के लिये रूपान्तरण कराकर स्टोन क्रेशर के उपयोग में लिया जा रहा है तो धारा 90ए एलआरएक्ट के अधीन वर्णित प्रावधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट द्वारा अपना जबाब पेश करने के उपरान्त अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं आगामी सुनवाई का कोई अवसर दिये जाने के बजाय अपीलान्ट से यह कहा गया कि अब वह घर जा सकती है जब आवश्यकता होगी तलब कर लिया जावेगा। अपीलान्ट वापिस अपने घर आ गई और अपीलाधीन आदेश का उसे कोई इल्म नहीं हुआ। जब दिनांक 04.11.2019 को पटवारी, गिरदावर अपीलान्ट के क्रेशर पर आये और क्रेशर बन्द किये जाने की धमकी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दी तो दिनांक 05.11.2019 को ही अपीलान्ट तहत अदालत में गई और मालूमात कर अपीलाधीन आदेश की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस अपीलान्ट को दिनांक 08.11.2019 को नकल प्राप्त हुई। असल जानकारी दिनांक 08.11.2019 से अपील अन्दर म्याद है। फिर भी म्याद को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा श्रीजी स्टोन क्रेशर के आराजी खसरा नम्बर 588/123 व 123 रकवा 6 वीघा 5 विस्वा में से 4 वीघा 15 विस्वा पर बेदखल किये जाने एवं उक्त रकवे पर पडे हुये पक्के माल को कब्जेराज करने के आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दिये गये है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 को विरूद्ध अवैधानिक बताते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी में से 1060 वर्ग फुट भूमि को खातेदार सीमासिंह ने एवं पुनः 29620.8/56628 वर्ग फुट भूमि को सीमासिंह ने तथा 429.2/56628 भूमि को सतीशचन्द पुत्र अभिलाखसिंह के द्वारा भूमि रूपान्तरण कराया है। मुताविक जमाबन्दी संवत 2072–2075 में आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 3 वीघा वाकै ग्राम घाटरी पर सीमासिंह पत्नी अनिलसिंह कौम जाट सा. 19 गांधीनगर भरतपुर खातेदार इ.न. 1060 वय के नाम दर्ज है तथा आराजी खसरा नम्बर 588/123 रकवा 3 वीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम घाटरी पर सीमासिंह पत्नी अनिलसिंह 29620.8/56628 वर्ग फुट कौम सा. 19–गांधी नगर भरतपुर, सतीशचन्द पुत्र अभिलाख सिंह 429.2/56628 वर्ग फुट कौम राजपूत सा. चरपई सिकन्दरपुर तह. व जिला एटा उत्तर प्रदेश, श्रीजी स्टोन क्रेशर कम्पनी प्रोपराईटर अनिलसिंह पुत्र होपसिंह 26578/56628 वर्गफुट कौम जाट सा. गांधी नगर भरतपुर खातेदार हि. अनिलसिंह 2467.25 वर्गमीटर स्टोन क्रेशर हेतु कनवर्जन के नाम दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 27.12.2021 को अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र वक्त सुनवाई प्रस्तुत किया है। आराजी खसरा नम्बर 167 में सें 2832.75 एवं खसरा नम्बर 168 में से 4900 वर्गमीटर कुल 7732.75 वर्गमीटर भूमि का कनवर्जन कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी भुसावर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। कनवर्जन राशि 10000/–रूपये जरिये चालान जमा कराई जा चुकी है। जहां तक उक्त आराजी के अकृषि प्रयोजन उपयोग का प्रश्न है जैसा कि रिपोर्ट पटवारी दिनांक 25.01.2016 में उक्त खसरा नम्बर पर पक्का माल डालकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने की रिपोर्ट की है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–90ए की उप धारा 4 एवं राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 13 में बिना अनुज्ञा के कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन काम में लेने पर नियमानुसार शास्ति पर विनियमतीकरण का प्रावधान है एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजात से अपीलान्ट द्वारा सक्षम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्राधिकारी के समक्ष संपरिवर्तन आवेदन मय चालान प्रति प्रस्तुत किया है। उपरोक्त आधार पर अपील अपीलान्ट विवादित आराजी से बेदखल नही किये जाने की हद तक स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट विवादित आराजी से बेदखल नहीं किये जाने की हद तक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को तहत पत्रावली के साथ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)